संख्या-37/2017/563(2)/12-3-2017-100(40)/2017

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, **लखनऊ।**

कृषि अनुभाग-**3** लखनऊ: दिनांक: **04** जुलाई, **2017**

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-563/12-3-2017-100(40)/2017, दिनांक 13.6.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 13.06.2017 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनायें हेतु विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 87.22 लाख अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-11 में उल्लिखित लेखाशीर्षक-**"2401-**फसल कृषि कर्म**-800-**अन्य व्यय**-02-**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**-0207-**कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनायें**"** के स्थान पर लेखाशीर्षक-**"2401-**फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय**-800-**अन्य व्यय**-02-**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**-0207-**कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनायें**"** अंकित हो गया है।

3- अत: अब उक्त शासनादेश के लेखाशीर्षक को **"2401-**फसल कृषि कर्म**-800-**अन्य व्यय**-02-**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**-0207-**कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनायें**"** पढ़ा जायेगा।

4- शासनादेश संख्या-563/12-3-17-100(40)/2017, दिनांक 13.06.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- शासनादेश दिनांक 13.06.2017 के शेष प्राविधान/शर्तें यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0-37/2017/563(3)/12-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
8- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in